कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

ई-मेल-cfaligarh@gmail.com

पत्रांकः 1673 / 14-1 (13881 / 2015) दिनांक अलीगढ़, नवम्बर 09 ,2023

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः— कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post-facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) किमी0 चैनेज 15.150 की बायी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा सं0-1470 में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach/13881/2015)

सन्दर्भ— 1- भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक- 8बी / यू0पी0 / 06 / 34 / 2018 / एफ0सी0 / 327 दिनांक 28.08.2023.
2. आपका पत्रांक- 563 / 11सी-FP/UP/others/13881/2015 दि0 04.09.2023.
3-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ का पत्रांक-1696 / अलीगढ़ / 13881 / 2015 दिनांक 31.10.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ के पत्रांक-1696 / अलीगढ़ / 13881 / 2015 दिनांक 31.10.2023 से इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। प्रभाग से प्राप्त आख्या निम्न प्रकार सुसंगत अभिलेख सहित ऑनलाइन संलग्न कर प्रेषित है:-

S.No.	Objection	Reply
1	Violation of FCA, 1980 shall be stopped immediately.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में निर्देशानुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज द्वारा दिनांक 03.10.2023 को प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण का अवैधानिक रूप से किये जा रहे गैर वानिकी प्रयोग को तारबाड़ लगाकर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को पूर्णतया रोक दिया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज द्वारा अपने पत्र संख्या-102 / 2-1, दिनांक 20.10.2023 अवगत कराया गया है कि सम्पर्क मार्ग पर किसी प्रकार की कोई आवाजाही संचालित नही है एवं संरक्षित वन भूमि को अपने कब्जे में ले लिया गया है। सुलभ सदर्भ हेतु उल्लघन को को रोके जाने के छायाचित्र संलग्न है।(संलग्नक-1)
2	Show cause notice shall again be issued by DFO to Nayara Energy for reply of previous show cause notice	प्रकरण मे वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्र सख्या 1432 / 14-1, दिनांक 30.10.2019 (संलग्नक-2) द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन की दशा मे निर्गत नोटिस के क्रम मे प्रभागीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1016 / Aligarh/13881/UP-134/2015 दिनाक 15.09.2023 (संलग्नक-3) द्वारा प्रयोक्ता एजेसी को नोटिस निर्गत किया गया है। निर्गत नोटिस के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेसी के पत्र दिनाक 07.10.2023 द्वारा उत्तर / पक्ष प्रेषित किया गया है कि प्रयोक्ता द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समस्त गाइडलान्स का प्राथमिकता की दृष्टि से पालन किया जायेगा। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रयोक्ता एजेसी के पत्र दिनाक 07.10.2023 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक-4)

3	Senior Officer of Nayara Energy Ltd. shall be present in next REC meeting.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पत्र दिनांक 18.09.2023 द्वारा आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आश्वासन दिया गया है। (संलग्नक–5)

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राकेश चन्द्रा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1 दिनांकित।
प्रतिलिपि–डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए–5, से0–3 नोयडा, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में प्रेषित।

(राकेश चन्द्रा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 1696 /Aligarh/13881/UP-134/2015, अलीगढ़: दिनांक: अक्टूबर 31 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा संख्या–1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक–8बी/यू.पी./06/34/2018/एफ.सी./327 दिनांक 28.08.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 563/11सी– FP/UP/Approach/13881/2015 दि0 04.09.2023

महोदया,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में लगायीं गयीं आपत्तियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर, संशोधित प्रस्ताव संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

S.No.	Objection	Reply
1	Violation of FCA, 1980 shall be stopped immediately.	प्रकरण में निर्देशानुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज द्वारा दिनांक 03.10.2023 को प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण का अवैधानिक रूप से किये जा रहे गैर वानिकी प्रयोग को तारबाड़ लगाकर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को पूर्णतया रोक दिया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज द्वारा अपने पत्र संख्या–102/2–1 दिनांक 20.10.2023 अवगत कराया गया है कि सम्पर्क मार्ग पर किसी प्रकार की कोई आवाजाही संचालित नहीं है एवं संरक्षित वन भूमि को अपने कब्जे में ले लिया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु उल्लंघन को रोके जाने के छायाचित्र संलग्न हैं। **(संलग्नक–1)**
2	Show cause notice shall again be issued by DFO to Nayara Energy for reply of previous show cause notice.	प्रकरण में वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्र सं0 1432/14–1 दिनांक 30.10.2019 **(संलग्नक–2)** द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन की दशा में निर्गत नोटिस के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–1016/Aligarh/13881/UP-134/2015 दिनांक 15.09.2023 **(संलग्नक–3)** द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को नोटिस निर्गत किया गया है। निर्गत नोटिस के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 07.10.2023 द्वारा उत्तर/पक्ष प्रेषित किया गया है कि प्रयोक्ता द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समस्त गाइडलान्स का प्राथमिकता की दृष्टि से पालन किया जायेगा। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 07.10.2023 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4)**

आ०का०कर्ता
वन संरक्षक

3	Senior Officer of Nayara Energy Ltd. shall be present in next REC meeting.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पत्र दिनांक 18.09.2023 द्वारा आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आश्वासन दिया गया है। **(संलग्नक–5)**

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

3/10/23

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपिः– डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सर ऑयल लि०), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105–06 ग्यारवां तल, सेक्टर–16, नोएडा–201309 (उ०प्र०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

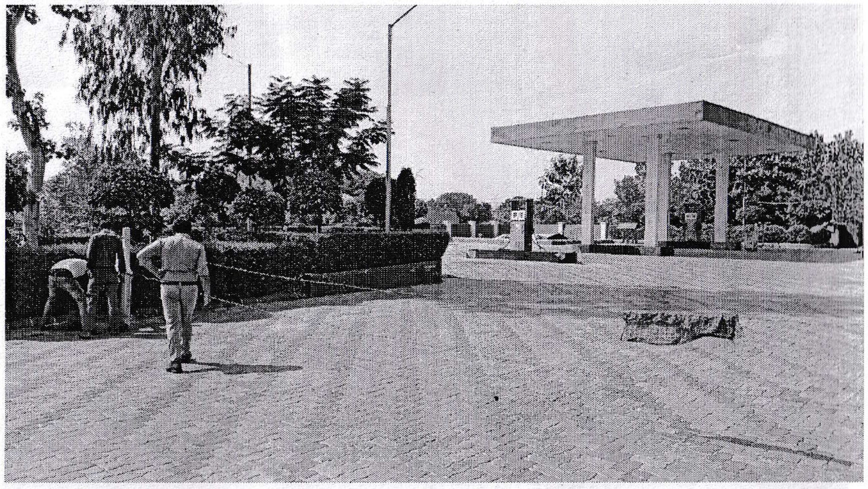

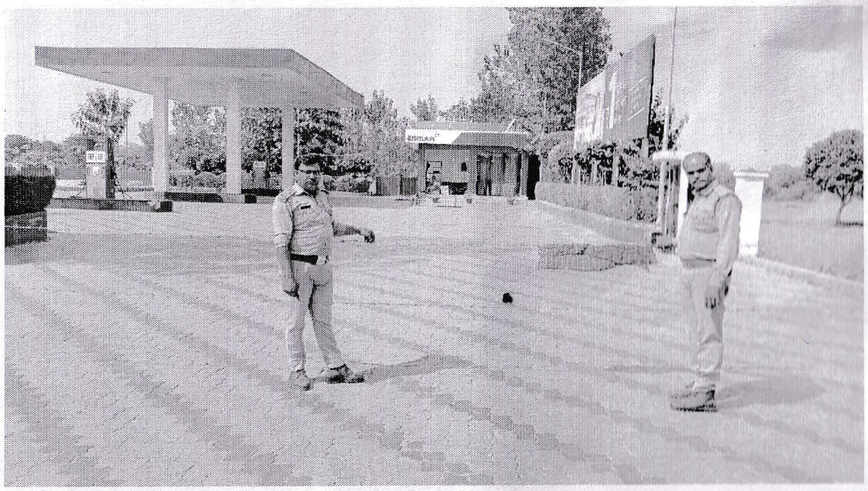

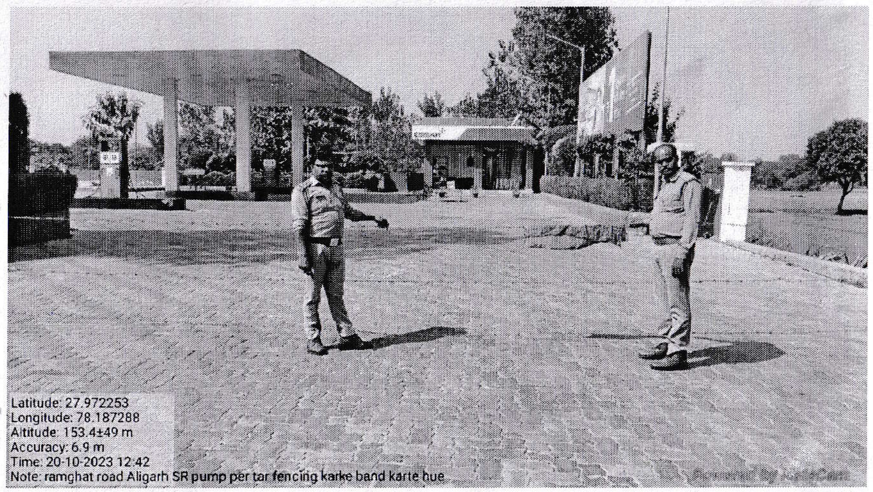
Latitude: 27.972253
Longitude: 78.187288
Altitude: 153.4±49 m
Accuracy: 6.9 m
Time: 20-10-2023 12:42
Note: ramghat road Aligarh SR pump per tar fencing karke band karte hue

Latitude: 27.971985
Longitude: 78.187034
Elevation: 198.05±26 m
Accuracy: 4.6 m
Time: 20-10-2023 12:34
Note: ramghat road Aligarh SR pump per tar fencing karke band karte hue

कार्यालय वन संरक्षक,अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः /14–1, दिनांकःअलीगढः 30/10/2019

वन (संरक्षण) रूल्स, 2003 की धारा 9 (1) के अन्तर्गत नोटिस

सेवा में,

प्रभागीय प्रबन्धक,
नायरा एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में एस्सार ऑयल लि),
ब्लर्ड ट्रेड टावर,
1105–06, ग्यारवां तल,
सेक्टर 16, नोएडा– 201301।

विषय : **वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने की दशा में वन (संरक्षण) नियमावली के अन्तर्गत नोटिस।**

संदर्भः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ का पत्र सं0 1574 / 14–10 दिनांक 25.10.2019

आप की संस्था द्वारा श्री प्रशांत कुमार आर्य पुत्र श्री धर्मवीर सिंह, निवासी– ग्राम सुखरावली पोस्ट–क्वार्सी, जिला–अलीगढ़ को Letter of Appointment सं0 UP-W-1701 dated 27.02.2015 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धित प्रस्ताव Proposal No. FP/UP/Others/13881/2015 प्रेषित किया गया था। आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए, प्रस्ताव उ0प्र0 शासन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया। जिस पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी / यू0पी0 / 06 / 34 / 2018 / एफ0सी0 / 30 दिनांक 12.04.2018 द्वारा आपत्तियां लगायी गयी हैं। **प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।** प्रस्तावित स्थल की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट को आने–जाने वाले प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर 0.0768 हे0 संरक्षित वन भूमि में पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किए ही संरक्षित वन क्षेत्र में वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग करके कार्य पूर्ण किया गया है, जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लघन है।

वन कर्मियो के क्षेत्रीय निरीक्षण दिनांक 23.02.2019 के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0–1470, तहसील–कोल पर भारत सरकार से पूर्वानुमति के बिना आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किया गया है। इस परिपेक्ष्य में अलीगढ़ रेंज द्वारा रेंज केस सं0 32 / 18–19 / अलीगढ़ दि0 23.02.2019 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32 / 33 के तहत जारी की गई। उक्त तथ्य का प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 23.10.2019 को स्वयं निरीक्षण कर पुष्टि भी की गयी।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य भारत सरकार ,वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना नही कराया जा सकता है एवं आपकी संस्था द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के निर्माण कार्य करके न सिर्फ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32 / 33 का वरन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का भी उल्लंघन किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि 60 दिनो के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर सक्षम न्यायालय में धारा–3बी में आपके विरूद्ध बाद चलाया जाय? निर्धारित अवधि तक उत्तर प्राप्त न होने पर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

3668
14-1
02-11-19

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 432/14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

D/M.
आ0क0 करें
प्रभागीय निदेशक
01-11-19

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

C:\Users\ok\Documents\D.Man-1\Land Transfer Projects\Retail Outlets\Pending\No inprinciple\Petrol Pump Ukhlana\CA Scheme.doc

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 1016 / Aligarh/13881/UP-134/2015, अलीगढः दिनांकः सितम्बर, 15 ,2023

वन (संरक्षण) रूल्स, 2003 की धारा 9 (1) के अन्तर्गत नोटिस

सेवा में,

प्रभागीय प्रबन्धक,
नायरा एनर्जी लि०,
आगरा ऑफिस,
प्रथम तल, राजेन्द्र स्पेस,
सेक्टर 16बी, आवास विकास, सिकंदरा योजना, आगरा।

विषय : **वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने की दशा में वन (संरक्षण) नियमावली के अन्तर्गत नोटिस।**
संदर्भः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ का पत्रांक 1432 / 14–1 दिनांक 30.10.2019

आप की संस्था द्वारा श्री प्रशांत कुमार आर्य पुत्र श्री धर्मवीर सिंह, निवासी– ग्राम सुखरावली पोस्ट–क्वार्सी, जिला–अलीगढ़ को अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग सम्बन्धित प्रस्ताव Proposal No. FP/UP/Others/13881/2015 प्रेषित किया गया था।

वन कर्मियो के क्षेत्रीय निरीक्षण दिनांक 23.02.2019 के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470, तहसील–कोल पर भारत सरकार से पूर्वानुमति के बिना आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किया गया है तथा सम्पर्क मार्ग का अवैधानिक रूप से गैर वानिकी प्रयोग किया जा रहा है, जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लघन है। इस परिपेक्ष्य में अलीगढ़ रेंज द्वारा रेंज केस सं0 32 / 18–19 / अलीगढ़ दि0 23.02.2019 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32 / 33 के तहत वन अपराध दर्ज किया गया।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य भारत सरकार ,वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना नही कराया जा सकता है एवं आपकी संस्था द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के निर्माण कार्य करके न सिर्फ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32 / 33 का वरन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का भी उल्लंघन किया गया है।

इस सम्बन्ध में वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के संदर्भित पत्र द्वारा आपको वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने की दशा में वन (संरक्षण) नियमावली के अन्तर्गत 60 दिनों में उत्तर उपलब्ध कराने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। परंतु आपके द्वारा 03 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रेषित नहीं किया गया। अतः आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि 15 दिनो के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर सक्षम न्यायालय में धारा–3बी में आपके विरूद्ध बाद चलाया जाय? निर्धारित अवधि तक उत्तर प्राप्त न होने पर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी / यू0पी0 / 06 / 34 / 2018 / एफ0सी0 / 327 दिनांक 28.08.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 10.08.2023 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की 8वीं बैठक में प्रश्नगत प्रस्ताव को Agenda Item No. 8.5 (UP) सम्मिलित किया गया था एवं निर्देश निर्गत किये गये है कि प्रश्नगत स्थल पर संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग शीघ्र रोका जाये तथा आपको दिनांक 30.10.2019 को प्रेषित नोटिस के सम्बन्ध में अपना उत्तर / पक्ष प्रस्तुत करने का अन्तिम अवसर प्रदान किया जाये।

15/09/23
(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 1016 / दिनांकित

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15/09/23
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

E:\D.Man-1\Land Transfer Projects\Retail Outlets\Pending\No inprinciple\Petrol Pump Ukhlana\CA Scheme.doc

NAYARA
ENERGY

Date-07-10-2023

To,
The Divisional Director
Social forest Department
Aligarh

Reference: - Your Letter -1016/Aligarh/13881/UP-134/2015 Dt-15-09-2023 & Letter No.1018/Aligarh/13881/UP-134/2015 Dt-15-09-2023.

Subject; - Proposal No. FP/UP/Others/13881/2015 For Aligarh Ram Ghat Road (MDR- 105) Km. Chainage-15.150 , Khasra No. 1470 Min, Village - Ukhlana, Tehsil - Kol, District - Aligarh, Uttar Pradesh

Sir,

This is to confirm that we have submitted the proposal to your office Ref. No. FP/UP/Others/13881/2015 Dated-12-07-2015 for your approval of the said retail outlet.

We hereby confirm that the said Retail outlet established in conformity with the NOC was granted by ADM -Aligarh on behalf of DM-Aligarh Reference letter 1047.N.O.C/Petro/Comp./16. Dated-3103-2016.

This is to bring to your Notice that we have not intended any sort of infringement of the forest conservation act 1980 (Section-2) as the proposal is still under consideration at your office.

We tried to resolve the query raised by your office from time to time within the stipulated timeline. But unfortunate we are unable to respond to your letter dated 30.10.2019, since we are not in receipt of the same.

We would surlily join the REC meeting called by your office, if we received the prior information for the same as we didn't receive any communication for the same. Therefore, we were unable to attend the REC meeting.

Request you kindly intimate us prior information of your scheduled further meeting on our below communication.
address.
Divisional Manager
Nayara Energy Limited
World Trade Tower, Office No 115-116
11th Floor Sector 16,
Noida 201301,
Uttar Pradesh, India
M +91 9599638293 T +91 0120 0000 |

We here by confirm that we will follow the guidelines of your office on topmost priority and request you to kindly accord your approval on priority of the said Retail Outlet.

Thanking you,

For Nayara Energy Limited
Authorized Signatory,

मा० चीफ
आ० का० करें
प्रभागीय निदेशक
13.10.23

NAYARA
ENERGY

Date-18-09-2023

To,
The Divisional Director
Social forest Department
Aligarh

Reference: - Your Letter -1016/Aligarh/13881/UP-134/2015 Dt-15-09-2023 & Letter No.1018/Aligarh/13881/UP-134/2015 Dt-15-09-2023.

Subject :- Proposal No. FP/UP/Others/13881/2015 For Aligarh Ram Ghat Road (MDR- 105) Km. Chainage- 15.150 , Khasra No. 1470 Min, Village - Ukhlana, Tehsil - Kol, District - Aligarh, Uttar Pradesh.

Sir,

We would like to confirm that we are not in receipt of your letter dated 30.10.2019, which has been referred in your letter No -1016/Aligarh/13881/UP-134/2015 dated :15-09-2023.

Also, we haven't received any letter from your side to attend the REC meeting reference to your letter no. 1018/Aligarh/13881/UP -2015 which is issued by your office dated 15.09.2023. Therefore, we are unable to attend the meeting.

Request you to kindly intimate us prior information of your scheduled further meeting.

Our communication address for further communication as appended below.

Divisional Manager
Nayara Energy Limited
World Trade Tower, Office No 115-116
11th Floor Sector 16,
Noida 201301,
Uttar Pradesh, India
M +91 9599638293 T +91 0120 0000 |

प्रभागीय निदेशक
21.9.23

Thanking you,

For Nayara Energy Limited

Authorized Signatory,

layara Energy Limited (Formerly known as Essar Oil Limited)
Vorld Trade Tower,1105-1106.11th Floor, sector-16
loida , Uttar Pradesh-201 301.

Registered Office:
Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305,
T +91 2833 661444 | F +91 28 3366 2929
CIN: U11100GJ1989PLC32116
www.nayaraenergy.com